न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–02/2020

सूबा राम एवं अन्य...वादीगण

बनाम

व्यास यादव एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
14.06.2023	वादीगण की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 27.02.2023 अंतर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 27.02.2023 में कहा गया है कि वर्तमान वाद वादीगण के साक्ष्य हेतु निर्धारित है। वर्तमान वाद में प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुये है जिसके कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित है। वर्तमान वाद में सभी वादीगण के नाम से प्राप्त बंदोबस्ती तथा मालगुजारी रसीद की छायाप्रति पूर्व में दाखिल है। वादीगण मजदूर तथा ग्रामीण क्षेत्र के रहने अनुसूचित जाति के है। कानून की जानकारी न होने के कारण वादीगण द्वारा मूल कागजात ससमय दाखिल नही किये जा सके। वादीगणों द्वारा मूल कागजात दाखिल किया जा रहा है। जिसे श्रीमान् द्वारा ग्रहण किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अगर मूल कागजात ग्रहण नही किया जता है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा वादीगण न्याय पाने से वंचित हो जायेगें। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मूल कागजात को दाखिल करने में हुये विलंभ को माफ करते हुये वादीगणों द्वारा दाखिल कागजात को ग्रहण करने की कृपा करें। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख वादीगण के साक्ष्य हेतु नियत है। प्रतिवादीगणों	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–02/2020

सूबा राम एवं अन्य...वादीगण

बनाम

व्यास यादव एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 14.06.2023	की उपस्थिति हेतु समस्त प्रकिया पूर्ण करने के बाद दिनांक 29.06.2022 को प्रस्तुत वाद एकपक्षीय कार्यवाही हेतु नियत किया गया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद में कुछ मूल मालगुजारी रसीद एवं रेन्टरौल दाखिल किये गये है। जो प्रस्तुत वाद के उचित न्याय निर्णयन हेतु आवश्यक कागजात होना प्रतीत होते है। अतः वादीगणों द्वारा मूल कागजात दाखिल करने में हुये विलंभ को माफ करते हुये वादीगण के मूल कागजात अभिलेख पर रखें जाते है। आगामी दिनांक 18.07.2023 वास्ते वादीगण के साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	